संख्या– 290 /VI-I/2006–2(19)2007

प्रेषक,

सुबर्द्धन
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून दिनांक 25 जुलाई, 2008

विषय :–वित्तीय वर्ष 2008–09 में विभिन्न मदों /योजनाओं में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–515/स.नि.उ./दो–3/2008–09 दिनांक–13–6–08, संख्या –373/स.नि.उ./दो–3/2008–09 दिनांक–21–5–08 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शा.दे. संख्या–248/VI-I/2008–2(27)/2007,दिनांक–8–5–08 एवं शा.दे. संख्या–208 VI-I/2008–2 (27)/2007, दिनांक–8–5–08 जिसके द्वारा आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत पक्ष की धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गयी थी, से आयोजनागत पक्ष में सारिणी–। के अनुसार रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) एवं आयोजनेत्तर पक्ष में निम्नांकित सारिणी–।। के कमांक– 04 एवं 07 पर अंकित धनराशि को भी आपके निवर्तन पर रखते हुए रू0 10.40 लाख (रू0 दस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुदान संख्या–11– (आयोजनागत) (सारिणी–।) (धनराशि हजार रूपये में)

क0स0		लेखाशीर्षक	धनराशि
(क)		लेखाशीर्षक 2005–कला एवं संस्कृति–00–आयोजनागत–102 कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन– 06 साहित्य कला परिषद की स्थापना	
	1.	–00–20 सहायक अनुदान/अंशनदान/राज सहायता	1000
		योग	1000

अनुदान संख्या–11– (आयोजनेत्तर) (सारिणी–।।) (धनराशि हजार रूपये में)

क0स0		लेखाशीर्षक	धनराशि
(क)		लेखाशीर्षक 2005–कला एवं संस्कृति–00–001 निदेशन	
	1.	तथा प्रशासन–03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–16 व्यवसायिक तथा	50
	2.	विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 42 अन्य व्यय	250
		योग	300
(ख)		2205 –कला एवं संस्कृति–00–101 ललित कला शिक्षा– 03 भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय–00–	
	3.	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100
	4.	25–लघु निर्माण कार्य	50
	5.	42–अन्य व्यय	200
		योग	350
(ग)		2005 कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन– 04–स्व0 गोविन्द बल्लभ पंत लोक कला संस्थान	
	6.	16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10
	7.	42 अन्य व्यय	20
		योग	30
(घ)		2005 कला एवं संस्कृति–00–103 पुरातत्व विज्ञान–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन (50 % के.स.)	
	8.	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20

	9	42 अन्य व्यय	10
		योग	30
(ङ)		2005 कला एवं संस्कृति–00–103 पुरातत्व विज्ञान –03 पुरातत्व अधिष्ठान–00	
	10.	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50
	11	42 अन्य व्यय	100
		योग	150
(च)		2005 कला एवं संस्कृति–00–104–अभिलेखागार–03 राज्य अभिलेखागार–03 राज्य अभिलेख	
	12	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30
	13	42 अन्य व्यय	50
		योग	80
(छ)		2005–कला एवं संस्कृति–00–107–संग्रहालय–03 अधिष्ठान व्यय	
	14	42–अन्य व्यय	100
		योग	100
		कुल योग	1040

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–267(1)/XXVII(1)2007 दिनांक–27–3–08 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। तथा आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4. धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की समय सारिणी बनाकर ही आहरण किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय से पूर्व शासन की अनुमति कार्ययोजना बनाकर अनिवार्य रूप से ली जायेगी। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6. किसी भी दशा में धनराशि का आहरण बजट व्यवस्था की सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।

7. इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 उपर्युक्त अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205 के आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष के विभिन्न मानक मदों सारिणी। एवं ।। में उल्लिखित मानक मदों के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

8. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–196 (पी0)/वित्त–(3)/2008 दिनांक–18, जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या–290 /VI-I/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
4. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव